



निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी) Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India



www.dicgc.org.in

सीओ.डीआईसीजी.आईओडी.सं.S1051/05-60-999/2025-2026

01 अक्टूबर 2025

डीआईसीजीसी के साथ पंजीकृत सभी बीमाकृत बैंक

महोदय/महोदया,

**डीआईसीजीसी (बीमाकृत बैंकों द्वारा जमा बीमा प्रीमियम का भुगतान और रिटर्न प्रस्तुत करना)
मास्टर निदेश, 2025**

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम ने समय-समय पर बीमाकृत बैंकों को निक्षेप बीमा (डीआई) रिटर्न, सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र (एसएसी) (दोनों, इसके बाद रिटर्न के रूप में संदर्भित) प्रस्तुत करने और डीआई प्रीमियम का भुगतान करने के संबंध में कई परिपत्र/दिशानिर्देश/अनुदेश/निदेश जारी किए हैं।

2. यह मास्टर निदेश, अनुबंध II में दर्शाए गए, इस विषय पर आज तक जारी सभी परिपत्रों/अनुदेशों/निदेशों का स्थान लेगा। सभी बीमाकृत बैंकों को निदेश दिया जाता है कि वे मास्टर निदेशों के प्रभावी होने की तिथि से उनका अनुपालन सुनिश्चित करें।

3. यह मास्टर निदेश निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 34 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।

भवदीय,

ह.

(अनूप कुमार)

मुख्य महाप्रबंधक

विषयसूची	पृष्ठ सं.
उद्देश्य	पृष्ठ 1
अध्याय I – प्रस्तावना	<u>पृष्ठ -2</u>
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ	2
2. प्रयोज्यता	2
3. परिभाषाएं	2
अध्याय II - बैंकों का पंजीकरण और विपंजीकरण	<u>पृष्ठ 3-7</u>
4. बैंक का बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकरण	3
5. पंजीकरण रद्द करना	7
अध्याय III - जमा बीमा प्रीमियम की गणना	<u>पृष्ठ 8-12</u>
6. जमा बीमा प्रीमियम की गणना	8
7. प्रीमियम का भुगतान	11
अध्याय IV – रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए दिशानिर्देश	<u>पृष्ठ 13-15</u>
8. डीआई रिटर्न प्रस्तुत करना	13
9. सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र (एसएसी) प्रस्तुत करना	14
10. उपयोगकर्ता मैनुअल	15
11. दंड	15
परिशिष्ट	<u>पृष्ठ 16-19</u>
अनुबंध I: “जमा” शब्द का स्पष्टीकरण	16
अनुबंध II: हटाए गए परिपत्रों की सूची	19

मास्टर निदेश -डीआईसीजीसी (बीमाकृत बैंकों द्वारा जमा बीमा प्रीमियम का भुगतान और रिटर्न प्रस्तुत करना) मास्टर निदेश, 2025

डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 34(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निगम इस बात से संतुष्ट होकर कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, एतद्वारा, इसके बाद निर्दिष्ट निदेश जारी करता है। इन निदेशों को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (जिसे आगे अधिनियम कहा जाएगा) और निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1962 (जिसे आगे विनियमन कहा जाएगा) के अन्य प्रावधानों, जैसा भी लागू हो, के साथ पढ़ा जाए।

उद्देश्य: ये निदेश, बीमाकृत बैंकों द्वारा डीआई प्रीमियम के भुगतान और रिटर्न प्रस्तुत करने से संबंधित निगम द्वारा अब तक जारी किए गए अनुदेशों को समेकित करने और अद्यतन करने के लिए जारी किए गए हैं। ये मास्टर निदेश, डीआईसीजीसी रिटर्न से संबंधित सभी पूर्व अनुदेशों का स्थान लेंगे।

अध्याय 1

प्रस्तावना

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

इन निदेशों को **डीआईसीजीसी (बीमाकृत बैंकों द्वारा जमा बीमा प्रीमियम का भुगतान और रिटर्न प्रस्तुत करना) निदेश, 2025** कहा जाएगा। ये निदेश 01 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होंगे।

2. प्रयोज्यता

इन निदेशों के प्रावधान भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाओं, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों और भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सहकारी बैंकों अर्थात् राज्य सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों पर लागू होंगे।

3. परिभाषाएँ

कृपया परिभाषाओं के लिए डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 2 देखें। उन मदों की एक उदाहरणात्मक सूची, जिन्हें बैंक अपवर्जन के रूप में गलत समझ सकते हैं, परंतु उन्हें निर्धारणीय जमा राशि के प्रयोजनों के लिए जमा के रूप में माना जाना आवश्यक है, अनुबंध-1 में दी गई है।

अध्याय – II

बैंकों के पंजीकरण और विपंजीकरण के लिए दिशानिर्देश

4. बैंक का बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकरण

4.1. जैसे ही किसी नई बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) से लाइसेंस प्राप्त होता है या कोई आरआरबी स्थापित होता है, तो उसे निगम में पंजीकरण के लिए आवेदन करना आवश्यक होता है।

4.2. **पंजीकरण के लिए बैंकों से अपेक्षित जानकारी:** पंजीकरण के प्रयोजन से, बैंक को निगम को जानकारी प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

क्षेत्र	विवरण
बैंक का मूल विवरण	नाम, पता, संपर्क विवरण, नोडल अधिकारी विवरण, जीएसटीआईएन विवरण, आदि।
दो प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं (एस1 & एस2) का विवरण	आधार डेटाबेस के अनुसार मूल विवरण, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि (ई-हस्ताक्षर के लिए ओटीपी जनरेट करने के लिए इस नंबर का उपयोग किया जाएगा)
भुगतान आरंभकर्ता का विवरण	मूल विवरण, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आदि।
सांविधिक लेखा परीक्षकों का विवरण, जब भी उपलब्ध हो	फर्म का नाम, सदस्यता संख्या और फर्म पंजीकरण संख्या (एफआरएन)

4.3. **पंजीकरण के लिए बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज:** किसी बैंक को बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकृत करने के प्रयोजन से बैंकों द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज **अनिवार्य रूप से** प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं:

क) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम और पंजीकृत कार्यालय का पता।

ख) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित पंजीकरण अनुरोध पत्र।

ग) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी लाइसेंस की प्रति अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमोदन हेतु लंबित, लाइसेंस हेतु आवेदन की प्रति, जैसा भी मामला हो।

घ) बैंकिंग व्यवसाय प्रारंभ करने की तारीख दर्शाने वाले दस्तावेज़ की प्रति।

- ड) बैंकिंग लाइसेंस के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत आवेदन के अनुसार अनुमानित जमा राशि दर्शाने वाले दस्तावेज़ की प्रति।
- च) सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम), आरबीआई द्वारा जारी बीएसआर कोड दर्शाने वाले दस्तावेज़ की प्रति।
- छ) निगमन प्रमाणपत्र की प्रति।
- ज) जीएसटीआईएन प्रमाणपत्र की प्रति। [यह सुनिश्चित किया जाए कि इसमें उल्लिखित आपूर्ति का स्थान पैरा 4.3(जी) के तहत प्रस्तुत दस्तावेज़ के समान हो।]
- झ) पैन कार्ड की प्रति।
- ञ) सोसायटी के उपनियमों की प्रति, यदि लागू हो।
- ट) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार या सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति, जैसा भी लागू हो।

4.4. नई बैंकिंग कंपनी का पंजीकरण: प्रत्येक नई बैंकिंग कंपनी को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के तहत लाइसेंस प्रदान किए जाने के बाद यथाशीघ्र निगम द्वारा बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।

4.5. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) का पंजीकरण: निगम प्रत्येक आरआरबी को उसकी स्थापना की तिथि से 30 दिन की समाप्ति से पहले पंजीकृत करेगा।

4.6. पात्र सहकारी बैंक का पंजीकरण: कोई भी सहकारी बैंक अधिनियम की धारा 13ए के तहत तब तक पंजीकृत नहीं होगा, जब तक कि वह अधिनियम की धारा 2(जीजी) के तहत यथापरिभाषित पात्र सहकारी बैंक न हो।

क) प्रत्येक नए पात्र सहकारी बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के तहत लाइसेंस प्रदान किए जाने के बाद यथाशीघ्र निगम द्वारा पंजीकृत किया जाएगा;

ख) प्राथमिक सहकारी बैंक बनने वाली प्राथमिक क्रेडिट सोसाइटी को उक्त धारा के तहत लाइसेंस के लिए आवेदन करने के तीन महीने के भीतर निगम द्वारा पंजीकृत किया जाएगा।

ग) प्रत्येक पात्र सहकारी बैंक जो अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् अस्तित्व में आया है, बैंककारी कानून (सहकारी समितियों पर लागू होना) अधिनियम, 1965 के प्रारंभ पर या उसके बाद किसी भी समय, सहकारी बैंक के रूप में कारोबार करने वाली किसी अन्य सहकारी समिति के विभाजन या बैंकिंग कारोबार करने वाली दो या अधिक सहकारी

समितियों के सम्मेलन के परिणामस्वरूप, निगम द्वारा लागू धारा के तहत लाइसेंस के लिए आवेदन करने के तीन महीने के भीतर बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।

4.7. निष्क्रिय बैंक का पंजीकरण: किसी निष्क्रिय बैंक को, स्थगन आदेश की समाप्ति या उसके समापन हेतु आवेदन के अस्वीकार होने के बाद, जैसा भी मामला हो, निगम द्वारा एक बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। किसी निष्क्रिय सहकारी बैंक को पंजीकृत होने के लिए यह आवश्यक है कि वह एक पात्र सहकारी बैंक हो तथा उसके पास बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अंतर्गत लाइसेंस हो, अथवा ऐसे लाइसेंस के लिए आवेदन करने पर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लिखित रूप में यह सूचित न किया गया हो कि ऐसे बैंक को इस प्रकार का लाइसेंस प्रदान नहीं किया जा सकता।

निगम द्वारा बैंक को बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकृत करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया अधिनियम की धारा 10, 11, 11ए, 12, 13, 13ए और 13बी देखें। निगम द्वारा किसी भी बैंक को बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकृत नहीं किया जाएगा यदि उसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लिखित रूप में नोटिस देकर यह सूचित किया गया हो कि उस बैंक को इस तरह का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता।

4.8. पंजीकरण की सूचना: यदि निगम ने किसी बैंकिंग कंपनी या पात्र सहकारी बैंक को बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकृत किया है, तो वह पंजीकरण के तीस दिनों के भीतर ऐसे बैंक को लिखित रूप में सूचना भेजेगा कि वह बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकृत हो गया है।

4.9. न्यू इंटिग्रेटेड एप्लीकेशन सिस्टम (एनआईएस या सम्यक) में शामिल होना: डीआईसीजीसी के साथ पंजीकृत प्रत्येक बैंक को डीआई प्रीमियम भुगतान के साथ निक्षेप बीमा (डीआई) रिटर्न जमा करना होगा और *सम्यक* नामक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणीकरण की व्यवस्था करनी होगी। *सम्यक* में बैंकों के पंजीकरण के लिए, उन्हें उपर्युक्त पैरा 4.2 और 4.3 के अनुसार जानकारी प्रस्तुत करनी होगी। पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए:

क) अपेक्षित वैधानिक अनुपालन की सुविधा के लिए, प्रत्येक पंजीकृत बीमाकृत बैंक को बैंक पंजीकरण मॉड्यूल, यूज़र एक्सेस मैनेजमेंट (यूएएम) मॉड्यूल और बीमा परिचालन विभाग (आईओडी) मॉड्यूल का एक्सेस प्रदान किया जाएगा।

मॉड्यूल	कार्य
बैंक पंजीकरण मॉड्यूल	बैंक पंजीकरण मॉड्यूल में डीआईसीजीसी रिकॉर्ड के अनुसार बैंक विवरण एक्सेस करना और समीक्षा करना, और किसी भी विसंगति के मामले में अपडेट का अनुरोध करना।
यूज़र एक्सेस मैनेजमेंट (यूएएम) मॉड्यूल	प्रमुख उपयोगकर्ता भूमिकाओं जैसे प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और सांविधिक लेखा परीक्षकों का विवरण देखना, असाइन करना या संपादित करना
बीमा परिचालन विभाग (आईओडी) मॉड्यूल	डीआई रिटर्न फाइल करना/संशोधित करना, प्रीमियम भुगतान चालान जेनरेट करना और सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र फाइल करना

ख) यूएएम मॉड्यूल के अंतर्गत परिभाषित चार अलग-अलग उपयोगकर्ताओं की निम्नलिखित भूमिकाएं होंगी:

भूमिका	विवरण
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 1 (एएस1)/ बैंक मेकर	निक्षेप बीमा (डीआई) रिटर्न प्रारंभ करने और प्रासंगिक डेटा के साथ भरने के लिए प्राधिकृत बैंक अधिकारी
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 2 (एएस2)/ बैंक चेकर	बैंक मेकर (एएस1) द्वारा प्रस्तुत डीआई रिटर्न को सत्यापित करने और अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत बैंक अधिकारी
भुगतान आरंभकर्ता	बैंक अधिकारी जो प्रीमियम भुगतान के लिए प्रीमियम चालान जेनरेट करता है। एएस1 या एएस2 में से कोई भी भुगतान आरंभकर्ता बन सकता है।

सांविधिक लेखा परीक्षक	बैंक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, जिन्हें जमा किए गए डीआई रिटर्न की सटीकता को प्रमाणित करने वाला अपना प्रमाणीकरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।
-----------------------	--

- ग) पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होते ही और बैंक के सम्यक में शामिल होते ही सभी उपयोगकर्ताओं (जैसा कि ऊपर तालिका में बताया गया है) को उनके लॉगिन क्रेडेंशियल (स्वतः जनित ईमेल के माध्यम से) सूचित कर दिए जाएंगे। इसके बाद, बैंक सम्यक एक्सेस कर सकेगा।
- घ) बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे बैंक पंजीकरण मॉड्यूल और यूएएम मॉड्यूल के अंतर्गत प्रक्रिया प्रवाह (प्रोसेस फ्लो) की विस्तृत समझ के लिए सम्यक पोर्टल पर उपलब्ध व्यापक उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ लें।

5. पंजीकरण रद्द करना

- 5.1. **बैंकिंग कंपनी का पंजीकरण रद्द करना:** अधिनियम की धारा 13 के तहत सूचीबद्ध किसी भी घटना के घटित होने पर किसी बैंकिंग कंपनी का बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकरण रद्द हो जाएगा।
- 5.2. **सहकारी बैंकों का पंजीकरण रद्द करना:** अधिनियम की धारा 13सी के तहत सूचीबद्ध किसी भी घटना के घटित होने पर सहकारी बैंक का बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकरण रद्द हो जाएगा।
- 5.3. **प्रीमियम का भुगतान न करने पर पंजीकरण रद्द करना:** अधिनियम की धारा 15ए (1) के अनुसार, यदि कोई बीमाकृत बैंक लगातार तीन अवधियों तक प्रीमियम का भुगतान करने में विफल रहता है तो निगम उसका पंजीकरण एक महीने का नोटिस देने के बाद रद्द कर सकता है। निगम ऐसे बैंक का पंजीकरण बहाल कर सकता है, यदि संबंधित बैंक निगम से पंजीकरण बहाल करने का अनुरोध करता है और चूक की तिथि से भुगतान की तिथि तक प्रीमियम के रूप में देय सभी राशियों का भुगतान, भुगतान की तिथि पर देय ब्याज सहित, कर देता है। हालाँकि, जब तक निगम संबंधित बैंक के निरीक्षण या अन्यथा द्वारा, इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाता कि वह बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र है, तब तक वह पंजीकरण बहाल नहीं करेगा।

अध्याय III
जमा बीमा प्रीमियम की गणना के लिए दिशानिर्देश

6. जमा बीमा प्रीमियम की गणना

6.1. बीमाकृत बैंकों के लिए प्रीमियम की गणना:

क) **प्रीमियम की दर:** प्रत्येक बीमाकृत बैंक जब तक वह पंजीकृत रहता है, अधिनियम की धारा 15 के अनुसार निगम द्वारा अधिसूचित दर पर निगम को प्रीमियम का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। वर्तमान में, प्रीमियम की लागू दर प्रति वर्ष ₹100 निर्धारणीय जमा राशि पर 12 पैसे है, जिसका भुगतान अर्ध-वार्षिक अंतराल पर दो किस्तों में किया जाना होगा। यह ध्यान देने योग्य है कि अधिनियम की धारा 15 (1) निगम को इस प्रीमियम को प्रति वर्ष निर्धारणीय जमा राशि के प्रति ₹ सौ पर पंद्रह पैसे की सीमा तक बढ़ाने का अधिकार देती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से इस सीमा को 15 पैसे प्रति वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है।

ख) **प्रीमियम भुगतान की आवधिकता, समयसीमा और देय तिथि:** बीमाकृत बैंक प्रत्येक वर्ष मार्च और सितंबर के अंतिम दिन समाप्त होने वाली प्रत्येक अर्ध-वार्षिक अवधि के लिए जमा बीमा प्रीमियम की गणना और भुगतान करेंगे। प्रीमियम का भुगतान पूर्ववर्ती छमाही के अंतिम दिन कारोबार की समाप्ति पर या यदि वह दिन परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश हो तो पूर्ववर्ती कार्य दिवस पर निर्धारणीय जमाराशि के आधार पर अग्रिम रूप से किया जाएगा। प्रत्येक छमाही के संबंध में देय प्रीमियम के लिए अग्रिम भुगतान, छमाही के प्रारंभ होने के बाद यथाशीघ्र किया जाएगा, लेकिन किसी भी स्थिति में उस छमाही के दूसरे महीने के अंतिम दिन (अर्थात् प्रथम छमाही के लिए मई के अंतिम दिन या द्वितीय छमाही के लिए नवंबर के अंतिम दिन) के बाद नहीं किया जाना चाहिए।

ग) यदि कोई बीमाकृत बैंक, अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण, अपनी निर्धारणीय जमा की राशि निर्धारित करने में सक्षम नहीं है, तो वह पूर्ववर्ती छमाही के अंतिम दिन से पहले या यदि वह दिन परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश हो, तो पूर्ववर्ती कार्य दिवस पर कारोबार की समाप्ति पर अपनी निर्धारणीय जमाराशियों के आधार पर निगम को देय प्रीमियम की राशि की अनंतिम गणना कर सकता है और तदनुसार समायोजन (यदि कोई हो) के अधीन उसके द्वारा देय अर्ध-वार्षिक प्रीमियम का भुगतान यथाशीघ्र कर सकता है,

जो उसके निर्धारणीय जमाराशि के आंकड़े पर आधारित हो, किन्तु किसी भी स्थिति में निगम द्वारा निर्दिष्ट तिथि के बाद नहीं हो।

घ) यदि किसी भी अवधि के लिए निगम को देय प्रीमियम के भुगतान के बाद किसी भी समय यह पाया जाता है कि बीमाकृत बैंक ने उसके द्वारा की गई गणना में त्रुटि के कारण या उसके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में त्रुटि के कारण या अन्यथा, उसके द्वारा देय राशि से कम राशि का भुगतान किया है, तो बीमाकृत बैंक निगम को तुरंत ऐसी अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो गणना में या आंकड़ों में त्रुटि के कारण या अन्यथा देय हो और यह उसके द्वारा देय प्रीमियम की राशि पर या उसके न चुकाए गए हिस्से पर, जैसा भी मामला हो, वित्तीय छमाही की शुरुआत से भुगतान की तारीख तक बैंक दर से 8 प्रतिशत अधिक ब्याज के साथ होगा। बीमाकृत बैंक सम्यक पर ही अपने पहले से प्रस्तुत डीआई रिटर्न में संशोधन करने में सक्षम होंगे।

6.2. प्रथम छमाही के लिए नव पंजीकृत बीमाकृत बैंक द्वारा देय प्रीमियम की गणना: किसी नई बैंकिंग कंपनी के मामले में, प्रथम छमाही के संबंध में उसके द्वारा देय प्रीमियम, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अंतर्गत बैंकिंग व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए लाइसेंस हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत आवेदन में ऐसी नई बैंकिंग कंपनी द्वारा उल्लिखित अधिकतम अनुमानित जमाराशियों के आधे के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

यदि कोई बैंक छमाही के प्रथम दिन के पश्चात् बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकृत होता है, तो प्रीमियम की गणना कारोबार शुरू करने की तारीख से की जाएगी, जिसे पंजीकरण की तारीख माना जाएगा और ऐसे प्रीमियम का भुगतान अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत सूचना प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर किया जाएगा।

6.3. प्रीमियम चक्र के दौरान बैंकों के विपंजीकृत होने की स्थिति में प्रीमियम की गणना: यदि किसी बीमाकृत बैंक का पंजीकरण अधिनियम की धारा 13 या 13सी के अंतर्गत रद्द कर दिया जाता है, तो उस रद्दीकरण से उस बैंक की रद्दीकरण से पहले की अवधि के प्रीमियम के भुगतान की देयता और इस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत देय किसी ब्याज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि किसी बीमाकृत बैंक का पंजीकरण चालू प्रीमियम चक्र के दौरान रद्द कर दिया गया हो, तो ऐसे रद्दीकरण की तारीख तक अर्ध-वर्ष की अवधि के संबंध में ऐसे बैंक द्वारा देय वास्तविक

प्रीमियम का निर्धारण बीमाकृत बैंक के रूप में उसके पंजीकरण के रद्दीकरण की तारीख को बकाया जमा राशि के आधार पर किया जाएगा।

6.4. **बीमाकृत बैंक के सम्मेलन के मामले में प्रीमियम की गणना:** लक्ष्य बैंक (वह बैंक जिसका अधिग्रहणकर्ता बैंक में विलय किया जा रहा है) विपंजीकरण की तिथि तक प्रीमियम का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और अधिग्रहणकर्ता बैंक, सम्मेलन की प्रभावी तिथि से संबंधित छमाही की शेष अवधि के लिए प्रीमियम का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें लक्ष्य बैंक से प्राप्त निर्धारणीय जमाराशियों पर लागू कर शामिल होंगे।

6.5. **बीमाकृत बैंक के सम्मेलन के मामले में दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण** सम्मेलन के मामले में, अधिग्रहणकर्ता बैंक को निगम को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

क) सहकारी समितियों के संबंधित रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए सम्मेलन के आदेश की प्रति और आरबीआई से सूचना, जिसमें सम्मेलन की प्रभावी तिथि स्पष्ट रूप से दर्शाई गई हो।

ख) लक्ष्य बैंक के नाम पर कट-ऑफ तिथि तक डीआई रिटर्न। (इसका उपयोग प्रीमियम चक्र की शुरुआत से लेकर विपंजीकरण की तिथि तक की अवधि के लिए लक्ष्य बैंक द्वारा देय प्रीमियम का निर्धारण करने के लिए किया जाएगा)।

ग) लक्ष्य बैंक के विपंजीकरण की तिथि पर, लक्ष्य बैंक से प्राप्त जमाराशियों के लिए, अधिग्रहणकर्ता बैंक के नाम पर खंडित अवधि के लिए डीआई रिटर्न। (इसका उपयोग अधिग्रहणकर्ता बैंक द्वारा अधिग्रहण की तिथि से संबंधित छमाही के लिए प्रीमियम चक्र की समाप्ति तिथि तक की अवधि के लिए देय प्रीमियम की गणना करने के लिए किया जाएगा)।

घ) निर्धारित प्रारूप में अधिग्रहणकर्ता बैंक द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षक प्रमाणपत्र, जो लक्ष्य बैंक से अधिग्रहणकर्ता बैंक को अंतरित जमाराशियों तथा अधिग्रहणकर्ता बैंक द्वारा लक्ष्य बैंक से अर्जित जमाराशियों को प्रमाणित करता हो।

6.6. **दंडात्मक ब्याज:** अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, यदि कोई बीमाकृत बैंक निर्धारित तिथि पर या उससे पहले उसके द्वारा देय प्रीमियम या उसके किसी भाग का भुगतान नहीं करता है, तो उसे देय प्रीमियम की राशि या उसके अप्रदत्त भाग पर, जैसा भी मामला हो, ब्याज देना होगा। बैंक को संबंधित छमाही की शुरुआत से भुगतान की तिथि तक लागू बैंक दर से 8 प्रतिशत

अधिक दर पर ब्याज का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त, किसी विशेष छमाही के लिए प्रीमियम भुगतान में कमी होने की स्थिति में, बैंक को उस पर लागू बैंक दर से 8 प्रतिशत अधिक दर पर दंडात्मक ब्याज का भुगतान करना होगा।

6.7. लागू जीएसटी: बीमाकृत बैंक निम्नलिखित मदों पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं:

क) देय प्रीमियम, यदि कोई हो

ख) प्रीमियम भुगतान में देरी पर लागू दंडात्मक ब्याज, जिसमें डेबिट समायोजन, यदि कोई हो, भी शामिल है।

ग) डीआई रिटर्न देरी से जमा करने पर जुर्माना, यदि कोई हो।

वर्तमान में, महाराष्ट्र राज्य में मुख्यालय वाले बीमाकृत बैंक 9% एसजीएसटी + 9% सीजीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं, जबकि शेष बीमाकृत बैंक 18% आईजीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। ये लागू जीएसटी दरें जीएसटी प्राधिकरणों (वित्त मंत्रालय) द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार हैं।

6.8. देय शुद्ध राशि: बीमाकृत बैंक पैरा 6.7(ए) से (सी) तक दर्शाई गई सभी मदों सहित एक राशि का, साथ ही लागू जीएसटी, क्रेडिट समायोजन को घटाकर, यदि कोई हो, का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

7. प्रीमियम का भुगतान

7.1. इससे पहले, बीमाकृत बैंक सीधे (एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से) डीआईसीजीसी के चालू खाते में प्रीमियम भेजते थे और डीआईसीजीसी वेबसाइट पर होस्ट किए गए पूर्ववर्ती पोर्टल पर अलग से रिटर्न जमा करते थे। प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और जीएसटी समयसीमा के साथ संरेखित करने के लिए, सम्यक के अंतर्गत एक नया एकीकृत वर्कफ्लो शुरू किया गया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत, बैंक का प्रथम प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (एस1) सम्यक पर लॉग इन करेगा, डीआई रिटर्न विवरण प्रस्तुत करेगा और प्रस्तुति पर ई-हस्ताक्षर करेगा, जिसे बाद में सत्यापन और ई-हस्ताक्षर के लिए दूसरे प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (एस2) के पास भेजा जाएगा। अनुमोदित हो जाने पर, बैंक का भुगतान आरंभकर्ता अनुमोदित डीआई रिटर्न के तहत गणना के अनुसार शुद्ध देय राशि को दर्शाते हुए भुगतान चालान जेनरेट करने में सक्षम होगा। बीमाकृत

बैंकों को देय शुद्ध राशि का भुगतान केवल सम्यक पोर्टल से प्राप्त चालान के माध्यम से करना होगा।

7.2. प्रीमियम चालान प्रतिदिन प्रातः 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच जेनरेट किया जा सकता है। सम्यक पर जेनरेट किए गए प्रत्येक चालान पर एक विशिष्ट लाभार्थी खाता संख्या अंकित होगी और वह उसी दिन शाम 4:30 बजे तक वैध रहेगी। इसके अलावा, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह लाभार्थी खाता संख्या चालान जेनरेट होने के प्रत्येक नए अवसर के साथ बदल जाएगी। चालान की अवधि समाप्त होने की स्थिति में, नया चालान केवल अगले दिन ही जेनरेट किया जा सकेगा। बीमाकृत बैंकों को सम्यक द्वारा जेनरेट किए गए चालान में दर्शाई गई सटीक देय राशि, दो दशमलव स्थानों तक (केवल एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के माध्यम से) लाभार्थी के खाता संख्या और आईएफएससी कोड (जैसा कि चालान में निर्दिष्ट है) को चालान की वैधता की समाप्ति से पहले प्रेषित करनी होगी।

7.3. निर्धारित चालान मोड का पालन किए बिना या सम्यक के बाहर किसी भी मोड के माध्यम से सीधे डीआईसीजीसी के चालू खाते में किए गए भुगतान अमान्य माने जाएंगे।

अध्याय IV

रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए दिशानिर्देश

8. डीआई रिटर्न प्रस्तुत करना

- 8.1. विनियमों की धारा 19(3) के अनुसार, प्रत्येक बीमाकृत बैंक, प्रत्येक कैलेंडर अर्ध-वर्ष के प्रारंभ होने के बाद यथाशीघ्र, परंतु किसी भी स्थिति में उस अर्ध-वर्ष के दूसरे महीने के अंतिम दिन से पहले, निगम को दो प्रतियों में, निगम द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में जिसमें उस बैंक द्वारा देय प्रीमियम की गणना के आधार को और उस अर्ध-वर्ष के लिए निगम को उस बैंक द्वारा देय प्रीमियम की राशि को दर्शाया गया हो, एक विवरण प्रस्तुत करेगा, जो उसके द्वारा प्राधिकृत दो अधिकारियों द्वारा सही के रूप में प्रमाणित होगा।
- 8.2. तदनुसार, पिछली प्रथा के तहत, बैंकों को प्रत्येक छमाही के लिए निगम की वेबसाइट (<https://www.dicgc.org.in>) के माध्यम से उपलब्ध पूर्ववर्ती पोर्टल पर डीआई रिटर्न और उसकी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करनी होती थी। अब से, पोर्टल पर डीआई रिटर्न की स्कैन की गई प्रतियां प्रस्तुत करने की पूर्व आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इसके बजाय, बीमाकृत बैंकों को अब सम्यक के माध्यम से डीआई रिटर्न के प्रोफार्मा में उल्लिखित जानकारी देनी होगी। यह कार्य प्रत्येक कैलेंडर छमाही के प्रारम्भ के बाद यथाशीघ्र, लेकिन उस छमाही के दूसरे महीने के अंतिम दिन से पहले किया जाना चाहिए।
- 8.3. जैसा कि पैरा 7.1 में रेखांकित किया गया है, बैंक का प्रथम प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (एस1) सम्यक के अंतर्गत संबंधित क्षेत्रों में आवश्यक डीआई रिटर्न विवरण दर्ज करेगा, ई-हस्ताक्षर करेगा और जानकारी प्रस्तुत करेगा। इसके बाद इस प्रस्तुति को बैंक के दूसरे प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (बैंक-चेकर) द्वारा सत्यापित और ई-हस्ताक्षरित किया जाएगा। अनुमोदित हो जाने पर, बैंक का भुगतान आरंभकर्ता एक भुगतान चालान (सीमित वैधता के साथ) जेनरेट कर सकता है, जिसमें अनुमोदित डीआई रिटर्न के अंतर्गत गणना की गई शुद्ध देय प्रीमियम राशि दर्शाई जाएगी। ई-हस्ताक्षरित डीआई रिटर्न निगम को स्वचालित रूप से तभी प्रस्तुत किया जाएगा जब बैंक द्वारा पैरा 7.2 के अनुसार सटीक शुद्ध देय प्रीमियम राशि एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के माध्यम से, विशेष रूप से ऐसे सम्यक-जेनरेटेड चालान के विरुद्ध, सफलतापूर्वक डीआईसीजीसी को प्रेषित कर दी गई हो।

8.4. एतद्वारा इस बात पर ज़ोर दिया जाता है कि पूर्ववर्ती प्रक्रिया के विपरीत, सम्यक द्वारा जेनरेट किए चालान के विरुद्ध सफल भुगतान और ई-हस्ताक्षरित डीआई रिटर्न की प्रस्तुति आपस में सम्बद्ध है। दूसरे शब्दों में, भुगतान हो जाने के बाद, उक्त डीआई रिटर्न जमा किया हुआ माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, सम्यक के अलावा किसी अन्य माध्यम से डीआई रिटर्न जमा करना अमान्य माना जाएगा।

9. **सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र (एसएसी) प्रस्तुत करना**

9.1. बैंकों द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों को अगले कैलेंडर वर्ष की 30 जून तक भुगतान किए गए प्रीमियम और दोनों अर्ध वर्षों अर्थात् सितंबर को समाप्त होने वाले अर्ध वर्ष (अप्रैल-सितंबर), जिसके लिए जमा आधार 31 मार्च है और मार्च को समाप्त होने वाले अर्ध वर्ष (अक्टूबर-मार्च), जिसके लिए जमा आधार पिछले वर्ष का 30 सितंबर है, की निर्धारणीय जमाराशि को प्रमाणित करना आवश्यक है।

9.2. इससे पहले, बीमाकृत बैंक विभिन्न माध्यमों से सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र (एसएसी) की स्कैन की गई प्रतियां प्रस्तुत करते थे, जिसमें पूर्ववर्ती पोर्टल पर अपलोड सुविधा, ईमेल या भौतिक प्रस्तुतियाँ शामिल थीं। यह प्रथा अब बंद कर दी गई है। अब से, बैंकों द्वारा अपने डीआई रिटर्न सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, बैंकों द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों को सम्यक के भीतर डीआई रिटर्न को प्रमाणित करना होगा। बीमाकृत बैंकों द्वारा डीआई रिटर्न के सफलतापूर्वक प्रस्तुतीकरण के बाद, सांविधिक लेखा परीक्षकों को स्वतः जनित ईमेल के माध्यम से डीआईसीजीसी से प्राप्त अपने क्रेडेंशियल्स के साथ लॉग इन करना होगा, प्रस्तुत डीआई रिटर्न की समीक्षा करनी होगी, निर्दिष्ट क्षेत्रों में अपनी टिप्पणियां दर्ज करनी होगी और इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर करके अपना प्रमाणीकरण प्रस्तुत करना होगा। उल्लेखनीय है कि सम्यक के माध्यम से केवल एसएसी जमा करने की प्रक्रिया को सुगम बनाया जा रहा है। सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा डेटा सत्यापन की प्रक्रिया अपरिवर्तित रहेगी।

9.3. किसी भी डीआई रिटर्न के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा बेमेल/प्रतिकूल राय के मामले में, बीमाकृत बैंकों को सम्यक पर ऐसे अर्ध-वर्ष के लिए संशोधित डीआई रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

9.4. यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि बीमाकृत बैंकों के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सम्यक के अलावा किसी भी माध्यम से प्रस्तुत किए गए प्रमाणीकरण अमान्य माने जाएँगे। अनुपालन और

वैधता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रमाणपत्रों को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, ई-हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और केवल सम्यक एप्लिकेशन के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

10. उपयोगकर्ता -मैनुअल

10.1 बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे सम्यक पोर्टल पर उपलब्ध व्यापक उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ लें।

11. दंड

11.1. **जानबूझकर गलत बयान:** अधिनियम की धारा 47(1) के अनुसार, जो कोई भी डीआई रिटर्न और/या सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र में जानबूझकर कोई ऐसा बयान देता है जो किसी भी महत्वपूर्ण विवरण में गलत है, यह जानते हुए कि वह झूठा है, या जानबूझकर कोई महत्वपूर्ण बयान देने से चूक जाता है, तो उसे तीन साल तक की अवधि के कारावास से दंडित किया जा सकता है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

11.2. **प्रस्तुतीकरण समयसीमा का पालन न करना या डेटा की गलत रिपोर्टिंग:** डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 (11 अगस्त 2023 के राजपत्र अधिसूचना के अनुसार संशोधित) की धारा 47(2) के अनुसार, किसी भी रिटर्न को जमा करने में देरी/किसी भी रिटर्न को जमा करने में विफलता/रिटर्न में गलत रिपोर्टिंग करने पर ऐसे बीमाकृत बैंक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में, बैंक प्रत्येक देरी/विफलता/गलत रिपोर्टिंग के संबंध में एक लाख पचास हजार रुपये तक के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होंगे, और लगातार देरी/विफलता/गलत रिपोर्टिंग के मामले में, अतिरिक्त जुर्माना जो पहली देरी/विफलता/गलत रिपोर्टिंग के बाद देरी/विफलता/गलत रिपोर्टिंग जारी रहने के दौरान प्रत्येक दिन के लिए सात हजार पांच सौ रुपये तक हो सकता है।

'जमा' शब्द का स्पष्टीकरण

- I. वे मदें जिन्हें बैंक अपवर्जन के रूप में गलत मान सकते हैं, परंतु उन्हें अधिनियम में परिभाषित "जमा" की श्रेणी में शामिल किया जाना आवश्यक है।
 1. कैश-क्रेडिट खातों में क्रेडिट बैलेंस
 2. साख-पत्रों, गारंटियों, खरीदे गए बिलों आदि के विरुद्ध रखे गए मार्जिन, यदि ये राशि केवल ग्रहणाधिकार या निपटान से संबंधित निर्देश अंकित करते हुए जमाकर्ता के खाते में रखी जाती हैं।
 3. अग्रिम या कर्मचारी प्रतिभूति जमा अथवा स्टाफ नकद सुरक्षा के लिए प्रतिभूति के रूप में रखी गई जमा राशि।
 4. फिक्स्ड और अन्य सावधि जमा पर उपचित ब्याज।
 5. मेल और एक जमा खाते से दूसरे जमा खाते में टेलीग्राफिक अंतरण।
 6. जमा खाते में क्रेडिट करने के लिए प्राप्त राशि, परंतु जो पूर्ण विवरण प्राप्त होने तक या कुछ औपचारिकताओं के अनुपालन तक "उचंत" में रखी गई हो।
 7. अतिदेय सावधि जमा और दावा न की गई जमा/शेष राशि।
 8. बैंक के अपने स्टाफ से संबंधित भविष्य निधि शेष।
 9. स्थानीय प्राधिकरणों और अर्ध-सरकारी निकायों जैसे नगर निगम, जिला बोर्ड, आवास और विद्युत बोर्ड आदि, जो अलग-अलग कानूनी संस्थाएं हैं, की जमा राशि।
 10. स्वायत्त या वैधानिक निकायों, सरकारी स्वामित्व वाले निगमों, सरकारी कंपनियों, जीवन बीमा निगम, औद्योगिक और राज्य वित्तीय निगम आदि की जमा राशि।
 11. सरकारी विभागों के नाम पर घटकों के खाते में रखी गई प्रतिभूति जमा राशि और बयाना राशि, जो सरकार द्वारा दावा न किए जाने पर घटकों को देय होती है।
 12. सरकारी और दूतावास अधिकारियों, रेजिमेंटल अधिकारियों आदि के व्यक्तिगत नामों में रखी गई जमा राशि।
 13. जमाकर्ताओं के खातों में रखे गए अप्रस्तुत ड्राफ्ट और भुगतान आदेश।
 14. कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित बैंक में जमा की गई कर्मचारी प्रतिभूति जमा।
 15. जमाकर्ताओं के खातों में क्रेडिट करने के उद्देश्य से "विविध लेनदारों" में रखी गई शेष राशि।

16. आवर्ती जमा, जो ग्राहकों द्वारा भुगतान न किए जाने के कारण जमा नहीं रह गए हैं, तथा जिनका रिफंड लंबित है।
17. नॉन-रेजीडेंट रुपया खातों की जमाराशियां।
18. भविष्य निधि आयुक्त को अंतरित किए जाने से पहले बैंक द्वारा रखे गए बैंक के स्टाफ से संबंधित भविष्य निधि शेष।
19. लघु कृषक विकास एजेंसी (एसएफडीए), मत्स्य कृषक विकास एजेंसी (एफएफडीए), जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) के शेष।
20. जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंकों के पास रखी गई समितियों की आरक्षित निधि।
21. "विविध लेनदार" खाते में जमा किया गया "पिग्मी डिपॉजिट" का दैनिक संग्रह।
22. सावधि जमा की आय से देय ऋण को विनियोजित करने के बाद "विविध लेनदार" खाते में क्रेडिट किया गया अधिशेष।
23. एफसीएनआर खाते में शेष राशि।
24. जमाकर्ताओं के संदर्भ में या संदर्भ के बिना जमा खातों को बंद करके जारी किए गए भुगतान आदेश/बैंकर्स चेक/डिमांड ड्राफ्ट को दर्शाने वाली राशि, लेकिन भुगतान न किया जाना।

II - वे मदें जो अधिनियम में दी गई "जमा" की परिभाषा के दायरे में नहीं आती हैं।

- (1) भारत के बाहर प्राप्त जमाराशि
- (2) विदेशी सरकार, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, बैंकिंग कम्पनियों और सहकारी बैंकों (अंतर-बैंक जमा) के नाम पर जमा धनराशियां और राज्य सहकारी बैंकों के पास रखी राज्य भूमि विकास बैंकों की जमा राशियां।
- (3) एक जमा खाते से दूसरे जमा खाते में अंतरण के अलावा बकाया डिमांड ड्राफ्ट और टेलीग्राफिक धन प्रेषण।
- (4) वसूली के लिए प्राप्त बिलों की आय को प्रेषण लंबित रहने तक या प्रेषण से जुड़ी कुछ औपचारिकताओं के अनुपालन तक उचंत रखा जाएगा।
- (5) बैंक को देय किसी भी राशि के विनियोजन हेतु उचंत में रखी गई राशियाँ। जब किसी अग्रिम के संबंध में भुगतान प्राप्त हो गया हो और उसे किसी विवाद या कुछ औपचारिकताओं के

अनुपालन के कारण उचंत में रखा गया हो, तो ऐसी राशि "जमा" नहीं मानी जाएगी क्योंकि यह निश्चित रूप से देय राशि के लिए विनियोजन हेतु है।

- (6) धन प्रेषण के प्रयोजन के लिए रखा गया संग्रह खाता शेष।
- (7) एकत्रित तथा सक्षम प्राधिकारियों को भुगतान के लिए उचंत खाते में रखा गया कर
- (8) सरकार या बैंकिंग कंपनी के नाम पर रखी गई प्रतिभूति जमा (बयाना राशि)
- (9) शेयर कॉल मनी, गोदाम ताले के लिए जमा राशि, स्टाफ गारंटी फंड, शेयर उचंत खाता।
- (10) किसी आकस्मिकता में विनियोजन के विशिष्ट प्रयोजन के लिए अलग से रखे गए मार्जिन।
- (11) रिज़र्व बैंक द्वारा स्थापित जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता कोष (डीईएएफ) में क्रेडिट की गई राशि।

हटाए गए परिपत्रों की सूची

1. [DICGC/DID/704/05.03.01.01/2005-06 dated May 03, 2005: Maintenance of Separate Data for Insured Deposits](#)
2. [DICGC: 3121/05.03.01/2010-11 August 30, 2010: Rationalisation of Deposit Insurance \(DI\) Returns](#)
3. [DICGC: 9943/05.60.999/2011-2012 dated September 21, 2011: Rationalisation of Deposit Insurance \(DI\) Returns -Submission of Certificate by Statutory Auditors](#)
4. [DICGC/IOD/1421/05.90.200/2014-15 dated June 20, 2014: Exemption of deposits credited to Deposit Education and Awareness Fund](#)
5. [DICGC/IOD: 2133/05.90.200/2014-2015 July 31, 2014: Penalty on delayed submission of DI Statement](#)
6. [DICGC/IOD/2777/05.60.999/2014-15 dated September 11, 2014: Penalty on delayed submission of DI Statement revised on Sep 11, 2014](#)
7. [DICGC/IOD: 4803/05.60.999/2015-2016 March 8, 2016: Premium payment, submission of Deposit Insurance returns and mode of payment](#)
8. [DICGC/IOD: 4413/05.60.999/2017-2018 dated June 02, 2017: Submission of Statutory Auditor Certificate](#)
9. [DICGC.RPIC.No. 2676/02.01.003/2019-20 dated February 05,2020: Increase in DI Premium from 10 Paise to 12 Paise per Rs 100 of Assessable Deposits](#)
10. [Format of DI Return applicable w.e.f. April 1, 2020](#)
11. [DICGC/IOD: S1563/05.60.999/2022-23 dated November 28, 2022: Submission of Statutory Auditor Certificate for Premium paid to DICGC](#)
12. [CO.DICG.IOD.No.S52/04-01-046/2025-2026 dated April 11, 2025: Revised Procedure of Submission of Deposit Insurance \(DI\) Returns, Computation and Remittance of DI Premium and Certification by Statutory Auditor to DICGC](#)



निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी) Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India



www.dicgc.org.in

CO.DICG.IOD.No.S1051/05-60-999/2025-2026

October 01, 2025

All Insured Banks registered with DICGC

Dear Sir / Madam,

DICGC (Payment of Deposit Insurance Premium and Submission of Returns by Insured Banks) Master Directions, 2025

Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation has, from time to time, issued several circulars/guidelines/instructions/directives to the insured banks with regards to their submission of Deposit Insurance (DI) Returns, Statutory Auditor Certificate (SAC) (both, hereinafter, may be referred to as returns) and payment of DI Premiums.

2. This Master Direction supersedes all circulars/instructions/directives issued on the subject till date, as indicated in the Annexure II. All insured banks are directed to ensure compliance with the Master Directions, from the date of their coming into effect.

3. The Master Directions is issued in exercise of powers conferred under sub-section (1) of section 34 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

Yours sincerely,

(Anup Kumar)
Chief General Manager

TABLE OF CONTENTS	Page No.
Objective	Page 1
Chapter I - Preliminary	<u>Page-2</u>
1. Short Title and Commencement	2
2. Applicability	2
3. Definitions	2
Chapter II - Registration and Deregistration of Banks	<u>Page 3-7</u>
4. Registration of Bank as an Insured Bank	3
5. Cancellation of Registration	7
Chapter III - Computation of Deposit Insurance Premium	<u>Page 8-12</u>
6. Computation of Deposit Insurance Premium	8
7. Payment of Premium	11
Chapter IV – Guidelines for Submission of Returns	<u>Page 13-15</u>
8. Submission of DI Return	13
9. Submission of Statutory Auditor Certificate (SAC)	14
10. User Manual	15
11. Penalties	15
Appendix	<u>Page 16-19</u>
Annexure I: Clarification of the term “Deposit”	16
Annexure II: List of Circulars superseded	19

**Master Directions - DICGC (Payment of Deposit Insurance Premium and
Submission of Returns by Insured Banks) Directions, 2025**

In exercise of the powers conferred by Section 34(1) of the DICGC Act, 1961, the Corporation being satisfied that it is necessary and expedient for the purposes of this Act to do so, hereby, issues the Directions hereinafter specified. These directions may be read along with other provisions under the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (hereinafter referred to as the Act) and the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1962 (hereinafter referred to as the Regulation), as applicable.

Objective: These directions are issued to consolidate and update the instructions related to **payment of DI premium and submission of returns by insured banks** issued so far by the Corporation. These Master Directions shall supersede all the previous instructions related to DICGC Returns.

CHAPTER - I

PRELIMINARY

1. Short Title and Commencement

These directions shall be called the **DICGC (Payment of Deposit Insurance Premium and Submission of Returns by Insured Banks) Directions, 2025**.

These Directions shall come into effect from October 01, 2025.

2. Applicability

The provisions of these directions shall apply to all Commercial Banks including branches of Foreign Banks functioning in India, Local Area Banks, Regional Rural Banks, Small Finance Banks, Payment Banks and Cooperative Banks *viz.* State Cooperative Banks, District Central Cooperative Banks and Urban Cooperative Banks in all States and Union Territories (UTs) of India.

3. Definitions

Please refer to Section 2 of the DICGC Act, 1961 for definitions. An illustrative list of items that banks may misconstrue as exclusions but instead are required to be considered as deposits for the purposes of assessable deposits is furnished in Annexure-I.

CHAPTER – II

GUIDELINES FOR REGISTRATION AND DEREGISTRATION OF BANKS

4. Registration of Bank as an Insured Bank

4.1. As soon as a New Banking Company or Co-operative Bank receives licence from the Reserve Bank of India (RBI) or an RRB gets established, it is required to apply for registration to the Corporation.

4.2. **Information required from banks for Registration:** For the purpose of registration, the bank will be required to furnish information to the Corporation, which, *inter alia*, includes the following:

Field	Details
Basic details of Bank	Name, address, contact details, nodal officer details, GSTIN details, etc.
Details of two Authorised Signatories (AS1 & AS2)	Basic details, Email ID, Mobile number, etc. as per Aadhar database (the number will be used to generate OTP for e-signature)
Details of Payment Initiator	Basic details, Email ID, Mobile number, etc.
Details of Statutory Auditors, as and when available	Firm name, membership number and Firm Registration Number (FRN)

4.3. **Documents to be submitted by banks for Registration:** The following documents are **mandatorily** required to be submitted by the banks for the purposes of registration of a bank as an insured bank:

- a) Names of Authorised Signatories and address of the Registered Office.
- b) A letter requesting registration signed by Authorised Signatory.
- c) Copy of licence issued by RBI under Section 22 of the Banking Regulation Act, 1949 or copy of application for licence, pending approval from RBI, as the case maybe.
- d) Copy of document showing date of commencement of banking business.
- e) Copy of document showing estimated deposits as per the application for banking licence submitted to RBI.

- f) Copy of document showing BSR Code issued by the Department of Statistics and Information Management (DSIM), RBI.
- g) Copy of Certificate of Incorporation.
- h) Copy of GSTIN Certificate. [It may be ensured that the Place of Supply mentioned therein is the same as that in the document submitted under para 4.3(g).]
- i) Copy of PAN Card.
- j) Copy of the bye laws of the Society, if applicable.
- k) Copy of certificate issued by the Registrar, Co-operative Societies of the State/UT or Central Registrar of Cooperative Societies (CRCS), as applicable.

4.4. Registration of New Banking Company: Every new banking company shall be registered as an insured bank by the Corporation as soon as may be after it is granted a licence under section 22 of the Banking Regulation Act, 1949.

4.5. Registration of Regional Rural Bank (RRB): The Corporation shall register every RRB before the expiry of 30 days from the date of its establishment.

4.6. Registration of Eligible Co-operative Bank: No co-operative bank shall be registered under section 13A of the Act, unless it is an eligible co-operative bank as defined under Section 2(gg) of the Act.

- a) Every new eligible co-operative bank shall be registered by the Corporation as soon as may be after it is granted a licence under section 22 of the Banking Regulation Act, 1949;
- b) A primary credit society becoming a primary co-operative bank shall be registered by the Corporation after such commencement within three months of its having made an application for a licence under the said section.
- c) Every eligible co-operative bank which has come into existence after the commencement of the Act, as a result of the division of any other cooperative society carrying on business as a co-operative bank, or the amalgamation of two or more co-operative societies carrying on banking business, at the commencement of the Banking Laws (Application to Co-operative Societies) Act, 1965, or at any time thereafter, shall be registered

by the Corporation as an insured bank within three months of its having made an application for a licence under the applicable section.

4.7. Registration of Defunct Bank: A defunct bank shall be registered by the Corporation as an insured bank after the termination of the order of moratorium or the rejection of the application for its winding up, as the case may be. For a defunct co-operative bank to get registered, it must be an eligible co-operative bank and should either hold a licence under Section 22 of the Banking Regulation Act, 1949 or having applied for such a licence, has not been informed by notice in writing by RBI that such a licence cannot be granted to such bank.

For more details on registration of the bank as an insured bank by the Corporation, please refer to Sections 10, 11, 11A, 12, 13, 13A and 13B of the Act. No bank shall be registered by the Corporation as an insured bank if it has been informed by notice in writing by the Reserve Bank of India that such a licence cannot be granted to such bank.

4.8. Intimation of Registration: Where the Corporation has registered any banking company or eligible co-operative bank as an insured bank, it shall, within thirty days of its registration, send an intimation in writing to such bank that it has been registered as an insured bank.

4.9. Onboarding onto New Integrated Application System (NIAS or Samyak): Every bank registered with DICGC is required to submit Deposit Insurance (DI) Returns along with DI Premium payment and arrange for a certification by bank's Statutory Auditor through the online portal called *Samyak*. For registration of the banks in *Samyak*, they will be required to submit information as per para 4.2 and 4.3 above. The following may be noted with respect to the portal:

- a) For facilitation of requisite statutory compliances, every registered insured bank will be granted access to the Bank Registration Module, the User

Access Management (UAM) Module, and the Insurance Operations Department (IOD) Module.

Module	Function
Bank Registration Module	Access and review bank details as per DICGC records in Bank Registration Module, and request updates in case of any discrepancy.
User Access Management (UAM) module	View, assign, or edit details of key user roles viz. authorised signatories and Statutory Auditors
Insurance Operations Department (IOD) module	File/ revise DI Returns, generate premium payment challans and filing Statutory Auditor Certificate

- b) Four distinct users as defined under UAM module shall have following roles:

Role	Description
Authorised Signatory 1 (AS1)/ Bank Maker	The bank official authorised to initiate and populate the Deposit Insurance (DI) Return with relevant data
Authorised Signatory 2 (AS2)/ Bank Checker	The bank official authorised to verify and approve the DI Return submitted by the Bank Maker(AS1)
Payment Initiator	The bank official who generates the premium challan for premium payment. Either of AS1 or AS2 may also become payment initiator.
Statutory Auditor	The bank's appointed statutory auditor, required to submit their certification attesting the accuracy of submitted DI Returns.

- c) All the users (as tabulated above) shall be intimated about their login credentials (through an auto-generated email) as soon as the registration

process is complete, and the bank is onboarded onto Samyak. Thereafter, the bank shall be able to access Samyak.

- d) Banks are advised to refer to the comprehensive user manual available on the Samyak portal for detailed understanding of the process flows under the Bank Registration Module and the UAM Module.

5. Cancellation of Registration

5.1. Cancellation of Registration of Banking Company: The registration of a banking company as an insured bank shall stand cancelled on the occurrence of any of the events enlisted under Section 13 of the Act.

5.2. Cancellation of Registration of Cooperative Banks: The registration of a co-operative bank as an insured bank shall stand cancelled on the occurrence of any of the events enlisted under Section 13C of the Act.

5.3. Cancellation of Registration for Non-payment of Premium: As per Section 15A (1) of the Act, the Corporation may cancel the registration of an insured bank if it fails to pay the premium for three consecutive periods after giving one month's notice to such bank. The Corporation may restore the registration of such bank if the concerned bank requests the Corporation to restore the registration and pays all the amounts due by way of premia from the date of default till the date of payment together with interest due thereon, on the date of payment. However, unless the Corporation is satisfied, on an inspection of the concerned bank or otherwise that it is eligible to be registered as an insured bank it shall not restore the registration.

CHAPTER III

GUIDELINES FOR COMPUTATION OF DEPOSIT INSURANCE PREMIUM

6. Computation of Deposit Insurance Premium

6.1. Calculation of Premium for Insured Banks:

- a) **Rate of Premium:** Every insured bank shall, so long as it continues to be registered, is liable to pay the premium to the Corporation, at such rate as notified by the Corporation, as per Section 15 of the Act. Currently, the applicable rate of premium is 12 paise per ₹ 100 of Assessable Deposits per annum, to be paid in two instalments at half-yearly intervals. It may be noted that Section 15 (1) the Act vests the Corporation with the powers to increase this premium up to a ceiling of fifteen paise per ₹ hundred of Assessable Deposits per annum. This ceiling may be increased beyond fifteen paise per annum, with the prior approval of the Reserve Bank of India.
- b) **Periodicity, Timelines and Due Date for Payment of Premium:** The insured banks shall compute and pay deposit insurance premiums for each of the half-yearly periods ending on the last day of March and September in every year. The premium shall be paid in advance on the basis of the Assessable Deposits as at the close of the business on the last day of the preceding half-year or if that day is a public holiday under the Negotiable Instruments Act, 1881, the preceding working day. The advance payment towards the premium due in respect of each half-year shall be made as soon as possible after the commencement of the half-year but in any event not later than the last day of the second month of that half-year (i.e. not later than the last day of May for first half-year or November for second half-year).
- c) If any insured bank is not able, on account of circumstances beyond its control, to determine the figure of its Assessable Deposits, it may provisionally calculate the amount of premium payable by it to the Corporation on the basis of its Assessable Deposits as at the close of business on the penultimate day of the preceding half-year or if that day is a public holiday under the Negotiable Instruments Act, 1881, the preceding

working day and pay the half-yearly premium payable by it accordingly subject to adjustment, if any, being made on the figure of its Assessable Deposits as soon as possible thereafter but in any event not later than such date as may be specified by the Corporation.

- d) If at any time after payment of the premium payable to the Corporation for any period it is found that the insured bank has paid a sum less than the sum payable by it either on account of an error in the calculation made by it or on account of an error in the figures furnished by it or otherwise, the insured bank shall be liable to pay immediately to the Corporation such additional sum as may be due on account of the error in calculation or in the figures or otherwise, with interest on the amount of premium payable by it or on the unpaid portion thereof, as the case may be, at 8 per cent above the Bank Rate from the beginning of the financial half-year till the date of payment. The insured banks shall be able to do such revisions of their already submitted DI Returns on Samyak itself.

6.2. Calculation of Premium payable by the Newly Registered Insured Bank for the first half-year: In the case of a new banking company, the premium payable by it in respect of the first half-year shall be arrived at on the basis of one half of the maximum estimated deposits mentioned by such new banking company in its application to the RBI for a licence to commence banking business under Section 22 of the Banking Regulation Act, 1949.

Where a bank is registered as an insured bank after first day of a half-year, the premium shall be calculated from the date of start of business, which will be deemed as the date of registration and such premium shall be paid within thirty days of the receipt by that bank of the intimation under section 14 of the Act.

6.3. Calculation of Premium in case of banks de-registered during the premium cycle: Where the registration of any insured bank is cancelled under Section 13 or 13C of the Act, such cancellation shall not affect the liability of that bank for payment of premium for the period before such cancellation and of any interest due under the provisions of this section.

When the registration of an insured bank has been cancelled during the ongoing premium cycle, the actual premium payable by such bank in respect of the period in a half-year up to the date of such cancellation shall be determined on the basis of the deposits outstanding on the date of cancellation of its registration as an insured bank.

6.4. Calculation of premium in case of Amalgamation of an Insured Bank: The target bank (the bank that is being merged into the acquirer bank) is liable to pay the premium till the date of deregistration and the acquirer bank would be liable to pay the premium from the effective date of amalgamation, for the remaining period of the respective half-year, with taxes as applicable for the assessable deposits acquired from the target bank.

6.5. Submission of documents in case of Amalgamation of an Insured Bank
In case of amalgamation, the acquirer bank is required to submit the following documents to the Corporation:

- a) Copy of Order of amalgamation issued by the respective Registrar of Co-operative Societies and intimation from RBI, clearly indicating the effective date of amalgamation.
- b) DI Return as on cut-off date in the name of the target bank. (This will be used to arrive at the premium payable by the target bank for the period starting from the beginning of the premium cycle to the date of deregistration).
- c) DI Return for the broken period in the name of the acquirer bank, for the deposits acquired from the target bank, as on the date of deregistration of the target bank. (This will be used to arrive at the premium payable by the acquirer bank for the period from the date of acquisition to the date of the end of the premium cycle for respective half year).
- d) Statutory Auditor Certificates by Acquirer Bank in prescribed format certifying the deposits transferred from target bank to acquirer bank and the deposits acquired by the acquirer bank from target bank.

6.6. Penal interest: In terms of Section 15 of the Act, if an insured bank does not pay on or before the stipulated date the premium payable by it, or any portion

thereof it shall be liable to pay interest on the amount of premium payable by it or on the unpaid portion thereof, as the case may be. The bank is required to pay the same at 8 per cent above the applicable Bank Rate from the beginning of the respective half-year till the date of payment. Also, in case of a shortfall in premium payment for a particular half year, the bank is required to pay penal interest at 8 per cent above the applicable Bank Rate on the same.

6.7. Applicable GST: The insured banks are liable to pay GST on the following items:

- a) Premium payable, if any
- b) Applicable penal interest on delay of premium payment including debit adjustments, if any
- c) Penalty for late submission of DI return, if any.

Presently, the insured banks having their Head Office within the state of Maharashtra are liable to pay 9% SGST + 9% CGST, whereas the remaining insured banks are liable to pay 18% IGST. These applicable GST rates are as per the notifications issued by GST Authorities (Ministry of Finance).

6.8. Net Amount Payable: The insured banks are liable to pay a sum inclusive of all the items indicated from Para 6.7(a) to (c) plus applicable GST, net of credit adjustment, if any.

7. Payment of Premium

7.1. Previously, insured banks remitted premiums directly (via NEFT/RTGS) to DICGC's current account and submitted the Returns separately on the erstwhile portal hosted on the DICGC website. To streamline the process and align with GST timelines, a new integrated workflow has been introduced under Samyak. Under this process, the first authorized signatory of the bank (AS1) will log onto Samyak, furnish the DI Return details and e-sign the submission, which will then be routed to the second authorized signatory (AS2) for verification and e-signing. Once approved, the bank's payment initiator shall be able to generate a payment challan reflecting the net payable amount, as calculated under the approved DI Return. Insured banks shall be required to

pay the net amount payable exclusively through the challan generated from the Samyak portal.

7.2. The premium challan can be generated between 12:00 AM to 4:00 PM every day. Each challan generated on Samyak shall bear a unique beneficiary account number and shall be valid till 4:30 PM on the same day. Further, it is important to note that this beneficiary account number will change with every new instance of challan generation. In case of expiry of challan, a new challan can be generated only on the following day. Insured banks must remit the exact payable amount, specific to two decimal places (via NEFT/ RTGS/ IMPS only) as reflected in the Samyak-generated challan to such beneficiary account number and IFSC code (as specified in such a challan) before the expiry of the challan's validity.

7.3. Payments made directly to DICGC's current account without following the prescribed challan mode or through any mode outside of Samyak will be considered invalid

CHAPTER IV

GUIDELINES FOR SUBMISSION OF RETURNS

8. Submission of DI Return

- 8.1. In terms of Section 19(3) of the Regulations, every insured bank shall, as soon as possible after the commencement of each calendar half-year, but in any event not later than the last day of the second month of that half-year, furnish to the Corporation a statement, in duplicate, duly certified as correct by two officials authorized by it, in such form as may be specified by the Corporation showing the basis on which the premium payable by that bank has been calculated and the amount of premium payable by that bank to the Corporation for that half year.
- 8.2. Accordingly, under the previous practice, banks were required to furnish the DI Return and its detailed information on the erstwhile portal, accessible via the Corporation's website (<https://www.dicgc.org.in>), for each half-year. Henceforth, the earlier requirement to submit scanned copies of the DI Return on the portal has been discontinued. Instead, the insured banks must now provide the information outlined in the proforma of DI Return through Samyak. This must be done as soon as possible after the commencement of each calendar half-year but not later than the last day of the second month of that half-year.
- 8.3. As outlined in para 7.1, the first authorized signatory of the bank (AS1) shall input the necessary DI Return details into the relevant fields under Samyak, e-sign, and submit the information. This submission shall then be verified and e-signed by the bank's second authorized signatory (bank-checker). Once approved, the bank's payment initiator can generate a payment challan (with limited validity) reflecting the net payable premium amount, as calculated under the approved DI Return. The e-signed DI Return will be automatically submitted to the Corporation only after the exact net payable premium amount has been successfully remitted by the bank as per para 7.2 to DICGC via NEFT/RTGS/ IMPS, exclusively against such Samyak-generated challan.

8.4. It is hereby emphasized that, in contrast to the erstwhile process, the successful payment against the Samyak-generated challan and the submission of the e-signed DI Return are interlinked. In other words, after the payment is made, the said DI return will be deemed to be submitted. Furthermore, any submission of DI Returns through modes other than Samyak shall be deemed invalid.

9. **Submission of Statutory Auditor Certificate (SAC)**

9.1. The Statutory Auditors appointed by banks are required to certify the Premium paid and the Assessable Deposits of both half years i.e. Half year ending September (April-September), deposit base for which is 31st March and half year ending March (October-March), deposit base for which is 30th September of the previous year, by June 30th of the next calendar year.

9.2. Previously, insured banks submitted scanned copies of the Statutory Auditor Certificate (SAC) through various mediums, including the upload facility on the erstwhile portal, emails, or physical submissions. This practice has now been discontinued. Henceforth, once banks successfully submit their DI Returns, the statutory auditors appointed by banks will be required to certify the DI Return within the Samyak. Following the successful submission of DI Return by insured banks, the statutory auditors will have to log in with their credentials received from DICGC vide auto-generated email, review the submitted DI Returns, record their observations in the designated fields, and electronically sign and submit their certification. It may be noted that only the process of submitting SAC is being facilitated through Samyak. The process of verification of data by the statutory auditor will remain unchanged.

9.3. In case of mismatch/ adverse opinion by the Statutory Auditor for any DI Return, the insured banks shall be required to submit the revised DI Return for such half-year on Samyak.

9.4. It is important to note that the submission of certifications by Statutory Auditors of insured banks through any mode outside of Samyak will be deemed invalid. All certifications must be recorded, e-signed, and submitted exclusively through the Samyak application to ensure compliance and validity.

10. User- Manual

10.1 Banks are advised to refer to the comprehensive user manual available on the Samyak portal.

11. Penalties

11.1. Willful Misstatement: In terms of Section 47(1) of the Act, whoever in the DI return and/or Statutory Auditor Certificate, willfully makes a statement which is false in any material particular, knowing it to be false, or willfully omits to make a material statement, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine.

11.2. Non-compliance with submission timelines or Misreporting of data: In terms of Section 47(2) of the DICGC Act, 1961 (amended as per Gazette notification dated August 11, 2023), any delay in the submission of any returns / failure in submission of any returns / misreporting in returns shall invite penal action against such insured bank. In such cases, the banks shall be liable to penalty which may extend to One Lakh Fifty Thousand Rupees in respect of each delay/failure/misreporting, and in the case of a continuing delay/failure/misreporting, with an additional penalty which may extend to seven thousand five hundred rupees for every day during which the delay/ failure/ misreporting continues after the first such delay/ failure/ misreporting.

CLARIFICATION OF THE TERM 'DEPOSIT'

- I. Items which banks may misconstrue as exclusions but instead are required to be included within the category of "deposits" as defined in the Act
 1. Credit balances in cash-credit accounts
 2. Margins held against letters of credit, guarantees, bills purchased etc., if these amounts are held in an account of the depositor marking merely a lien or instructions as to disposal.
 3. Deposits held as security for advances or employees security deposits or staff cash Security.
 4. Accrued interest on fixed and other term deposits.
 5. Mail and telegraphic transfers from one deposit account to another.
 6. Amount received for credit of deposit account but held in "suspense" pending receipt of full particulars or compliance with some formalities.
 7. Overdue term deposits and unclaimed deposits/balances.
 8. Provident Fund balances relating to the bank's own staff.
 9. Deposits of local authorities and quasi-Government bodies like Municipal corporations, district Boards, housing and Electricity Boards etc., which are separate legal entities.
 10. Deposits of autonomous or statutory bodies, Government owned Corporations, Government companies, life Insurance Corporation, Industrial and State Financial Corporation etc.
 11. Security deposits and earnest monies held in the name of Government departments on account of constituents which are payable to the constituents, if not claimed by Government.
 12. Deposits held in the individual names of Government and Embassy officials, Regimental officers etc.
 13. Unpresented drafts and pay-orders held in the depositors' accounts.
 14. Staff Security Deposits deposited in a scheduled bank as per provisions of Companies Act, 1956.

15. Balances held in “Sundry Creditors” for the purpose of credit to depositors’ accounts.
16. Recurring deposits, which have ceased to be deposits due to non-payment by clients, pending refund.
17. Deposits of Non-Resident Rupee Accounts.
18. Provident Fund balances relating to bank’s staff held by bank before they are transferred to provident Fund Commissioner.
19. Balances of small Farmers Development Agency (SFDA) Fish Farmers Development Agency (FFDA), District Rural Development Agency (DRDA).
20. Reserve fund of societies held with District/Central Co-operative Banks.
21. Daily collections of “pigmy Deposits” credited to “Sundry Creditors” Account.
22. Surplus credited to “Sundry Creditors” Account after appropriating loan due from the proceeds of Term Deposits.
23. Balance held in FCNR Account.
24. Amount representing pay orders/bankers cheque/demand drafts issued by closing of deposit accounts with or without reference to the depositors but remaining unpaid.

II - Items which do not fall within the scope of the definition of “deposit” given in the Act.

- (1) Deposits received outside India
- (2) Monies belonging to and deposits in the names of foreign Government, Central Government, State Governments, banking companies and co-operative banks (inter- bank deposits), deposits of State Land Development Banks held with State Co-operative Banks.
- (3) Outstanding Demand Drafts and telegraphic remittances other than transfers from one deposit account to another.
- (4) Proceeds of bills received for collection held in suspense pending remittance or compliance with certain formalities connected with the remittance.

- (5) Amounts held in suspense for appropriation towards any amount due to the bank. When payment has been received in respect of an advance and the same is held in suspense on account of some dispute or compliance with certain formalities, such amount would not be “deposit” as it is definitely meant to be appropriated towards the amount due.
- (6) Collection account balance held for purposes of remittances.
- (7) Taxes collected and held in suspense account for payment to competent authorities.
- (8) Security Deposits (Earnest Money) held in the name of Government or banking company
- (9) Share call money, deposit for godown locks, staff Guarantee Fund, Share Suspense Account.
- (10) Margins held separately for the specific purpose of appropriation in a contingency.
- (11) The amounts credited to the Depositor Education and Awareness Fund (DEAF) established by the Reserve Bank of India.

List of Circulars superseded

1. [DICGC/DID/704/05.03.01.01/2005-06 dated May 03, 2005: Maintenance of Separate Data for Insured Deposits](#)
2. [DICGC: 3121/05.03.01/2010-11 August 30, 2010: Rationalisation of Deposit Insurance \(DI\) Returns](#)
3. [DICGC: 9943/05.60.999/2011-2012 dated September 21, 2011: Rationalisation of Deposit Insurance \(DI\) Returns -Submission of Certificate by Statutory Auditors](#)
4. [DICGC/IOD/1421/05.90.200/2014-15 dated June 20, 2014: Exemption of deposits credited to Deposit Education and Awareness Fund](#)
5. [DICGC/IOD: 2133/05.90.200/2014-2015 July 31, 2014: Penalty on delayed submission of DI Statement](#)
6. [DICGC/IOD/2777/05.60.999/2014-15 dated September 11, 2014: Penalty on delayed submission of DI Statement revised on Sep 11, 2014](#)
7. [DICGC/IOD: 4803/05.60.999/2015-2016 March 8, 2016: Premium payment, submission of Deposit Insurance returns and mode of payment](#)
8. [DICGC/IOD: 4413/05.60.999/2017-2018 dated June 02, 2017: Submission of Statutory Auditor Certificate](#)
9. [DICGC.RPIC.No. 2676/02.01.003/2019-20 dated February 05,2020: Increase in DI Premium from 10 Paise to 12 Paise per Rs 100 of Assessable Deposits](#)
10. [Format of DI Return applicable w.e.f. April 1, 2020](#)
11. [DICGC/IOD: S1563/05.60.999/2022-23 dated November 28, 2022: Submission of Statutory Auditor Certificate for Premium paid to DICGC](#)
12. [CO.DICG.IOD.No.S52/04-01-046/2025-2026 dated April 11, 2025: Revised Procedure of Submission of Deposit Insurance \(DI\) Returns, Computation and Remittance of DI Premium and Certification by Statutory Auditor to DICGC](#)